सदस्यों को देय वेतन भत्ते एवं सुविधाएँ

विधान सभा में निर्वाचित हो जाने के बाद सदस्य कुछ सुविधाएँ पाने के अधिकारी हो जाते हैं। मुख्य रूप से, सदस्यों को जो सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, वे वेतन और भत्ते, यात्रा, चिकित्सा, आवास, टेलीफोन संबंधी हैं। ये सुविधाएँ राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेन्शन) अधिनियम, 1956 एवं इसके अध्यधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत आती हैं ।

वेतन :

प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान 40,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन पाने का हकदार है।

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता :

प्रत्येक सदस्य अपनी कालावधि के दौरान 70,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार है।

गृह किराया भत्ता :

जिन सदस्यों को सरकारी आवास गृह आवंटित नहीं हैं और वे जयपुर में अपने स्वामित्व की या किराये की आवास सुविधा में रह रहे हैं, इस आशय का प्रमाण-पत्र पेश करने पर 30,000/- रुपये प्रतिमाह (w.e.f. 01.03.2024) गृह किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं।

टेलीफोन भत्ता :

प्रत्येक सदस्य को 2,500/- रुपये प्रतिमाह टेलीफोन भत्ता संदत्त किया जाएगा।

दैनिक भत्ता :

प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान जिस स्थान पर विधान सभा का सत्र अथवा उसकी किसी समिति की बैठक हो रही हो, वहाँ उपस्थित रहने की अवधि के दौरान राज्य के भीतर 2000/- रुपये प्रतिदिन की दर से तथा राज्य के बाहर 2500/- रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार है।

समिति की बैठकों के मामले में एक कलैण्डर माह में 15 दिवस तक की सीमा में दैनिक भत्ता देय है किन्तु विधान सभा सत्र की बैठकों पर दिवसों की पाबन्दी नहीं है। विधान सभा सत्र के तुरन्त पहले दो दिवस एवं सत्र के तुरन्त पश्चात् एक दिवस तक की और किसी समिति की बैठकों से तुरन्त पहले और बाद में एक-एक दिवस तक की अवधि में अथवा माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार विधान सभा सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्य से संबंधित अन्य कोई कार्य करने के लिए इस प्रकार उपस्थित रहने के लिए भी विधान सभा सदस्य दैनिक भत्ता पाने का हकदार है।

आनुषांगिक प्रभार :

यदि कोई सदस्य रेल द्वारा या बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 6 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से आनुषांगिक व्यय देय होगा।

यात्रा सुविधाएँ :

रेल द्वारा सदस्य और उस सदस्य के साथ अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, सहित रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर तथा माननीय अध्यक्ष महोदय की पूर्वानुमति से विदेश यात्रा के किसी वित्तीय वर्ष में तीन लाख रुपये की सीमा तक किराये का पुनर्भरण प्राप्त कर सकेगा।

यदि किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की रकम तीन लाख रुपये से कम है तो शेष रकम आगामी वित्तीय वर्ष या वर्षों में अग्रनीत की जायेगी और वह सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय ऐसी रकम का उपयोग कर सकेगा।

सड़क मार्ग द्वारा

(क) सदस्य द्वारा निजी वाहन से यात्रा करने पर रु.10.00 प्रति कि.मी. की दर से राशि देय होगी।

(ख) प्रत्येक सदस्य को एक पास दिया जाता है जिससे वह और उसके साथ जाने वाला अन्य व्यक्ति राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा जिसमें डीलक्स और वातानुकूलित बसें भी सम्मिलित हैं, से किसी भी समय तथा किसी भी मार्ग पर जिस पर वे बसें चलती हों, नि:शुल्क यात्रा करने का हकदार है।

चिकित्सा सुविधाएँ :

माननीय सदस्य अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए वैसी ही चिकित्सा सुविधाओं के हकदार हैं, जो तत्समय राज्य सरकार के अधिकारियों के लिये अनुमत्य है।

वर्तमान में राजस्थान राज्य में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत राज्य के राजकीय एवं अनुमोदित चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

आवासीय सुविधाएँ :

जयपुर में निम्नांकित स्थानों पर सदस्यों को प्रतिमाह प्रभार्य किराये पर निवासीय सुविधा उपलब्ध है-

1.	विधायक आवास	160
2.	विधायकपुरी में फ्लेट्स	28
3.	गांधी नगर	36

दूरभाष सुविधा :

जयपुर में सदस्यों की आवासीय कॉलोनी स्थित स्वागत कक्षों में (कॉमन) टेलीफोन लगाये गये हैं जहां से माननीय सदस्यगण स्थानीय कॉल कर सकते हैं जिनके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

अन्य सुविधायें :

(क) प्रत्येक सदस्य उसी श्रेणी से जिससे वह यात्रा करने का हकदार है, प्रत्येक सत्रावधि में एक बार अपने सामान्य निवास स्थान से जयपुर तक तथा जयपुर से वापस अपने सामान्य निवास स्थान तक अपने पति/पत्नि (जो भी हो) को सरकारी खर्चे पर लाने, ले जाने का हकदार है।

(ख) सदस्यों के लिए राजस्थान हाउस, नई दिल्ली, राज्य के सर्किट हाउस तथा डाक बंगलों में ठहरने की निम्न सुविधाएँ हैं :-

(I) **राजस्थान हाउस :** सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा संचालित नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा एक समय में लगातार 8 दिन, माह विशेष में 16 दिन तथा सम्पूर्ण वर्ष में अधिकतम 80 दिन तक के लिए उपलब्ध है।

(II) **सर्किट हाउस** : सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा संचालित और जयपुर को छोड़कर राजस्थान में स्थित सर्किट हाउसों में ठहरने की यह सुविधा किसी सदस्य को किसी विशेष सर्किट हाउस में और किसी महीने में अधिक से अधिक सात दिन तक के लिए उपलब्ध है।

(III) **डाक बंगले** : सदस्य राजस्थान राज्य में स्थित सरकारी डाक बंगलों में उन्हीं शर्तों पर ठहर सकते हैं जो शर्तें राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर लागू होती हैं।

(ग) प्रत्येक सदस्य को राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा सचिवालयिक सहायक के रूप में वेतन शृंखला 1 से 9 तक का एक कार्मिक उपलब्ध करवाया जायेगा या विकल्प के रूप में सचिवालयिक सहायक के बदले सदस्य 30,000/- रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर सकेंगे।

(घ) सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण हेतु जिला पूल से एक माह में अधिकतम पन्द्रह दिवस के लिए वाहन उपलब्ध करवाया जाता है या वाहन नहीं लेने पर अधिकतम 45,000/- रुपये प्रति माह जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे ।

(ङ) प्रत्येक सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र में एक वर्ष में रुपये 5,00,00,000/- (अक्षरे पांच करोड़ रुपये) तक के जनोपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्य का प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रेषित कर सकता है, जो अभिकरण की स्थापित प्रकियानुसार कार्यान्वित किये जाते हैं।

□□□

(अप्रेल, 2025)

Salary, Allowances & Amenities available to the Members

After election to Assembly, the members become entitled to certain amenities. These amenities are provided to members with a view to enable them to function effectively as members of Assembly.

Broadly speaking, the amenities provided to the members relate to salaries and allowances. These are governed by the Rajasthan Legislative Assembly (Officers' and Members' Emoluments and Pension) Act, 1956 and the rules made thereunder.

Salary

Every member is entitled to a salary of Rs. 40,000 per month during the term of his/her membership.

Constituency Allowance

Every member is entitled to a constituency allowance of Rs. 70,000 per month during the term of his/her membership.

House Rent Allowance

Those members who have not been allotted government accommodation and are living in their own or rental accommodation are entitled, on submission of a certificate to this effect, to House Rent Allowance of Rs. 30,000/- per month. (w.e.f. 01.03.2024)

Telephone Allowance :- 2500/- P.M.

Daily Allowance

Every member during the term of his/her office is entitled to receive a daily allowance at the rate of Rs. 2000/- within the State and Rs. 2500/- outside the State per day whenever a session of the Assembly or a sitting of a Committee thereof takes place.

As regards meetings of the committee, every member is entitled to draw daily allowance for a maximum period of 15 days in a calendar month provided that such limit of period is not fixed for sittings of the House.

A member is also entitled to receive daily allowance for a period not exceeding two days immediately preceding the commencement of the session and not exceeding one day immediately succeeding the end of the session as well as for one day immediately preceding the commencement of the meeting and one day immediately succeeding the adjournment of the meeting.

A member visiting a place for the purpose of attending, under the orders of the Speaker, to any other business connected with his/her duties as a member shall also be entitled to daily allowance.

Incidental charges:

If a member travels by train or bus, he shall be paid incidental charges at the rate of Rs. 0.06 per kilometer.

Travelling Facilities

(A) By train/aeroplane/ship

A member can claim reimbursement of fares, including for persons accompanying him, for journeys undertaken by train, aeroplane, ship or steamer by any class within the territory of India and prior permission by hon'ble speaker for aborad journey up to a ceiling of Rs. Three lakh in a financial year. If in a financial year, the sum of reimbursement is less than Three lakh, then the remaining amount shall be carried forward to the ensuing financial year(s) and the member can utilize such sum any time before the completion of his tenure as such.

(B) By road

(a) For undertaking journeys by personal vehicle by a member, a sum at the rate of Rs. 10.00 per kilometer shall be payable.

(b) Each member is provided a Pass by which he or any other person accompanying him become entitled to travel free of cost by the bus services of the Rajasthan State Road Transport Corporation, which includes deluxe and air-conditioned services also, any time and on any route on which such bus services operate.

Medical Facilities

Members and their family members are entitled to medical treatment as admissible to officers of the State Government.

Currently Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) has been implemented in the Rajasthan State. Under which free medical facilities are available in the Government and approved hospitals of the state.

Residential Facilities

Residential facilities are available to members at the following places in Jaipur City on standard rent :-

(a) Vidhayak Aawas	*160*
(b) Flats in Vidhayakpuri	*28*
(c) Flats in Gandhi Nagar	*36*

Furniture Facility

Members residing at Jaipur in Government accommodation or accommodation owned or hired by them are entitled to can get a recharge of Furniture Expenses up to a limit of Rs. 80,000/- (Rupees eighty thousand only) .

Telephone Facility

Common telephones have been provided in the Reception Rooms at the residential blocks of members at Jaipur from where they can make local calls for which no limit is kept.

OTHER FACILITIES

(A) Transit facility to accompany spouse from the place of ordinary residence to Jaipur and back at the time of each session at Government cost by the same class by which the member is entitled to travel.

(B) Facilities are available to members for stay in Rajasthan House, New Delhi, Circuit Houses and Dak Bunglows as under :-

(I) RAJASTHAN HOUSE : Members have been provided with the facility of stay at Rajasthan House, New Delhi, run by the State Government, for a continuous period of 8 days at a time, 16 days in a particular month and for a maximum period of 80 days in a year.

(II) CIRCUIT HOUSES : Members have been accorded the facilities for stay in Circuit Houses run by the State Government situated in Rajasthan, except at Jaipur. This facility is, however, available to a member for maximum of 7 days in a particular Circuit House in a particular month.

(III) DAK BUNGLOWS : Members can stay in the Government Dak Bunglows in Rajasthan on the same terms and conditions as are applicable to Class I Officers of the State Government.

(C) For secretarial assistance, every member is provided either with the services of a personnel from pay scale no. 1 to 9 by the District Collector of his/her district to attend to his official work or in the alternative, they may get Rs. 30,000/- per month in lieu of secretarial assistants.

(D) For movement in their constituencies, every member is provided either a vehicle from the District Pool for a maximum period of 15 days in a month to tour his/her constituency, or in case of non-utilisation of this government facility, they may get up to Rs. 45,000/- per month from the Office of the District Collector.

(E) Every member can recommend to the District Rural Development Agency works of public utility in his/her constituency upto Rs. 500 lacs in a year which are executed according to the established procedure of this Agency.

(Dated: April, 2025)